

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17. राज्य सरकार की सिफारिश :
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या भाग-PT में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

CF, Sahasrarpur की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।



दिनांक : 18/11/14
स्थान :

Pankaj Misra
हस्ताक्षर
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
नाम
U.P. Lucknow
मोहर